न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 47/2017

बृजलाल पुत्र गणेशाराम जाति बिश्नोई निवासी 4 डी.डी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर दिनांक 22.11.2006

उपस्थितिः–

श्री मोहनलाल माहर, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण राजाराम एवं बृजलाल ने चक 4 डी.डी. के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 11 से 13, 18 से 23 की 2.201 हैक्टेयर भूमि तथा मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1, 2, 10, 11 की 1.012 हैक्टेयर कुल 3.212 हैक्टेयर भूमि आवंटन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार पदमपुर से रिपोर्ट ली गई। सुनवाई करने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर ने दिनांक 22.11.2006 को दोनों के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये, जिसके विरूद्ध अपीलांट बृजलाल ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा एकतरफा रिपोर्ट पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.11.2006 को पत्रावली दर्ज कर उसी दिन

28/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के हिस्से की भूमि की जो गणना की है वो सही नहीं की है। मुरब्बा नम्बर 26 व 29 की 3.213 हैक्टेयर भूमि जो पूर्व में अपीलांट के धारण में थी। उक्त भूमि अतिरिक्त कलेक्टर ने धारा 13/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में खारिज कर दी, लेकिन कब्जा काश्त अपीलांट का ही चला आ रहा है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में राजाराम व बृजलाल ने आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये थे। दोनों के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र खारिजी आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि अपीलांट के पास पूर्व में 29 बीघा नहरी भूमि धारण करता है एवं उसके पास 25 बीघा से अधिक भूमि है इसलिए वह भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आता। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 22.11.2006 के विरूद्ध दिनांक 09.05.17 को पेश की है। जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खण्डन रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर भूमि आवंटन) नियमन 1956 की धारा 3 के क्रम में प्रार्थी की पात्रता का परीक्षण किया है। प्रार्थी के पास 37 बीघा भूमि जमाबन्दी में दर्ज है जिसमें 21

2/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बीघा नहरी व 16 बीघा बारानी भूमि है। इस प्रकर 29 बीघा नहरी भूमि के समतुल्य अपीलांट भूमि धारण करता है। ऐसी स्थिति में 25 बीघा से अधिक नहरी भूमि होने के कारण अपीलांट को भूमिहीन की श्रेणी में नहीं मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अपीलांट ने इसके खण्डन स्वरूप कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अपीलांट के पास 9.406 हैक्टेयर नहरी भूमि व बारानी भूमि खाता में दर्ज बताई है। इस प्रकर स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर